न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 29/2019

अनवान :

सुनील कुमार पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रघुवीर पुत्र बिजेराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. रचना पुत्री रघुवीर जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3. राजस्थान जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : **वादी**

वकील श्री जयकिशन गोदारा : **प्रतिवादी सं0 1 व 2**

निर्णय **दिनांक :** 20.05.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डाबडी के वर्तमान खाता सं0 405/394 के खसरा सं0 78 की 2.808 है0 खसरा सं0 121/2 की 1.467 है0 खसरा सं0 180/2 की 3.465 है0 खसरा सं0 421/2 की 2.605 है0 खसरा सं0 598 की 2.086 है0 कुल 12.431 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रघुवीर के नाम से 1/2 हिस्सा अर्थात् 6.2155 है0 खातेदारी दर्ज है।

उक्त वादभूमि पहले वादी के दादा बिजेराम की खातेदारी हुआ करती थी। बिजेराम के देहान्त होने पर प्रतिवादी रघुवीर ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम से विरासतन दर्ज करवा रखी है। वादभूमि वादी की दादालाई अर्थात् वादी के दादा बिजेराम के समय की जमाबन्दी सम्वत् 2029 ता 38 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 हिन्दू है तथा उन पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के नियम लागू होते है। वादभूमि वादी के दादा बिजेराम के समय की होने अर्थात् दादालाई पैतृक कृषि भूमि होने के चलते उसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का जन्म से हक एवं अधिकार था, परन्तु प्रतिवादी रघुवीर कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम से विरासतन दर्ज करवा ली थी, जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वादभूमि जो प्रतिवादी रघुवीर के नाम से दर्ज 6.2155 है0 बारानी में से 1.043 है0 खातेदारी को दिनांक 01.03.2019 को कीमतन हनुमानसिंह पुत्र लिलुराम निवासी डाबडी को विक्रय कर विक्रय पत्र उसके पक्ष में रघुवीर ने निष्पादित करवा दिया था जिसका इन्तकाल अभी हनुमानसिंह के नाम से दर्ज नहीं हुआ है तथा अब रघुवीर के पास 5.1725 है0 खातेदारी भूमि शेष रही है। उक्त 5.1725 है0 भूमि की बाबत वादी एवं

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी सं0 2 ने उक्त वादभूमि में अपन जो भी हक हिस्सा बनता था वह वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर दिया था तथा रघुवीर के नाम की 5.1725 है0 भूमि उक्त पारिवारिक सैटलमेन्ट में वादी एंव प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु रिकार्ड माल में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी रघुवीर के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 3 पेरोकारराज को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी मे पीडब्ल्यु 1 सुनील कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति जमाबन्दी ग्राम डाबडी खाता सं0 405/394 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम डाबडी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी जमाबन्दी ग्राम डाबडी सम्वत् 2038 प्रदर्श 3, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये व चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 01.03.2019 व प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम डाबडी सम्वत् 2034 से 36 पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 हिन्दू है तथा उन पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के नियम लागू होते है। वादभूमि वादी के दादा बिजेराम के समय की होने अर्थात् दादालाई पैतृक कृषि भूमि होने के चलते उसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का जन्म से हक एवं अधिकार था, परन्तु प्रतिवादी रघुवीर कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम से विरासतन दर्ज करवा ली थी, जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने डाबडी के खाता सं0 405/394 में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि होना व वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा होना व प्रतिवादी रघुवीर के नाम से दर्ज 6.2155 है0 बारानी में से 1.043 है0 खातेदारी को दिनांक 01.03.2019 को कीमतन हनुमानसिंह पुत्र लिलुराम निवासी डाबडी को विक्रय कर विक्रय पत्र उसके पक्ष में निष्पादित करवाने के कथन अंकित किये है जिसकी पुष्टि में वादी ने प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम डाबडी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये है व प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम डाबडी सम्वत् 2034 से 36 पेश की है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा बिजेराम वल्द अमरू के नाम दर्ज है व प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी जमाबन्दी ग्राम डाबडी सम्वत् 2038 प्रदर्श 3 में वाद भूमि जयबीरसिंह व रघुवीरसिंह पि0 बीजेराम के नाम दर्ज है जो कि वर्तमान जमाबन्दी ग्राम डाबडी खाता सं0 405/394 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1 रघुवीर वल्द विजयराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 01.03.2019 से रघुवीर पुत्र विजयराम द्वारा चक डाबडी के खाता सं0 405/394 की कुल कृषि भूमि 12.4310 है0 बारानी खातेदारी में अपने 1/2 हिस्सा में से 1.043 है0 बारानी कृषि भूमि हनुमान सिंह पुत्र लिलुराम को विक्रय किया जाना साबित है एवं सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में रघुवीर सिंह

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भाद

के वारिसान में पत्नि कृष्णा देवी, एक पुत्र सुनील कुमार व एक पुत्री रचना होना व इनके अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं होना अंकित है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबडी के वर्तमान खाता सं0 405/394 के खसरा सं0 78 की 2.808 है0 खसरा सं0 121/2 की 1.467 है0 खसरा सं0 180/2 की 3.465 है0 खसरा सं0 421/2 की 2.605 है0 खसरा सं0 598 की 2.086 है0 कुल 12.431 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रघुवीर के नाम से 1/2 हिस्सा अर्थात् 6.2155 है0 खातेदारी दर्ज है में से 1.043 है0 खातेदारी विक्रय किये जाने के बाद रघुवीर के पास शेष रही 5. 1725 है0 खातेदारी कृषि भूमि के अकेले प्रतिवादी सं0 2 रघुवीर के बजाय वादी सुनील कुमार व प्रतिवादी सं0 2 रघुवीर दोनों संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 रचना ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी सुनील कुमार व प्रतिवादी सं0 1 रघुवीर के नाम कृषि भूमि संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.5.19

सहायक कलक्टर
(सुखाराम पिण्डेल)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 29/2019

अनवान :

सुनील कुमार पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रघुवीर पुत्र बिजेराम जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
2. रचना पुत्री रघुवीर जाति जाट निवासी डाबडी तहसील भादरा।
3. राजस्थान जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 श्री जयकिसन गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबडी के वर्तमान खाता सं0 405/394 के खसरा सं0 78 की 2.808 है0 खसरा सं0 121/2 की 1.467 है0 खसरा सं0 180/2 की 3.465 है0 खसरा सं0 421/2 की 2.605 है0 खसरा सं0 598 की 2.086 है0 कुल 12.431 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 रघुवीर के नाम से 1/2 हिस्सा अर्थात् 6.2155 है0 खातेदारी दर्ज है में से 1.043 है0 खातेदारी विक्रय किये जाने के बाद रघुवीर के पास शेष रही 5.1725 है0 खातेदारी कृषि भूमि के अकेले प्रतिवादी सं0 2 रघुवीर के बजाय वादी सुनील कुमार व प्रतिवादी सं0 2 रघुवीर दोनों संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 रचना ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी सुनील कुमार व प्रतिवादी सं0 1 रघुवीर के नाम कृषि भूमि संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़